मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वर्ष 1980-81 के दौरान ट्यूबवेलों के ऊर्जन के लिए आवेदनों पर, कृषकों द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरे हो जाने पर वार्षिक दृष्टि से व्यवहार्य अनुमानों के आधार पर संबंधित राज्य बिजली बोर्डों द्वारा विचार किया जाएगा।

चंबल पर लिफ्ट सिंचाई परियोजना

77. **श्री बाबू लाल सोलंकी** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश के जिला मुरैना में और उत्तर प्रदेश के जिला आगरा की बाह तहसील में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए चम्बल पर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण संबंधी फिजी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं और यदि हां, तो परियोजना का पूरा विवरण क्या है ; और

(ख) परियोजना पर कितनी लागत आयेगी, उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा तथा परियोजना पूरी हो जाने पर उससे लगभग कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई होने की संभावना है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार ईसाह गांव के निकट चम्बल नदी पर एक लिफ्ट सिंचाई स्कीम का अध्ययन कर रही है? इस स्कीम पर 694 करोड़ क्षेत्र रुपये की लागत आने का अनुमान है और इससे मुरैना जिले में 14,400 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। इस स्कीम से चम्बल प्रणाली की वर्तमान अम्बाह शाखा नहर की जल सप्लाई में वृद्धि होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आगरा और इटावा जिलों में 1.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लाभ के लिए चम्बल पर एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना तैयार की है जिसपर 12.11 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार यह स्कीम प्रारम्भ होने की तारीख से चार वर्षों की अवधि के अन्दर पूरी की जानी है। केन्द्रीय जल आयोग ने परियोजना रिपोर्ट की जाँच कर ली है और अपनी टिप्पणियां अनुपालन के लिए राज्य सरकार को भेजी हैं।

Expenditure incurred on Verghese Committee

78. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state what was the expenditure incurred on the Verghese Committee on A.I.R. and Doordarshan?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI VASANT SATHE): The total expenditure incurred on the Verghese Committee, including expenditure on printing of its report, was Rs. 3,47,088/-.

MRTP Commission Charges against Colgate-Palmolive (India)

79. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Colgate-Palmolive (India), the subsidiary of an American Multi-National Corporation, has been charged by the M.R.T.P. Commission, with Monopolistic and Restrictive Trade Practices;

(b) if so, what are the details of the charges against this company, and

(c) what action, if any, has been taken on the same?

THE MNISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIVSHANKER): (a) to (c). In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, the Central Government referred to the M. R. T. P. Commission on 28th March, 1974, the case of M/s. Colgate-Palmolive (India) Pvt. Limited for an inquiry as to whether, having regard to the economic conditions prevailing in the country and to all other matters which appear, in the particular circumstances to be relevant, the trade practices alleged to be indulged in by the aforesaid company operate or are likely to operate against the public interest. The aforesaid references to the Commission was made as a result of the *Prime facie* opinion formed by the Government that M/s. Colgate-Palmolive (India) Pvt. Ltd., a subsidiary of Colgate-Palmolive-Poto Company, incorporated in the United States of America,